

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

बिनय कुमार सिन्हा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

श्री राजकुमार प्रसाद (आई०डी०-5447),
तत० सहायक अभियंता,
सिंचाई प्रमंडल, भभुआ,
सम्प्रति सहायक अभियंता,
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय :- आरोप पत्र के साथ स्पष्टीकरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सिंचाई प्रमंडल, भभुआ अंतर्गत कर्मनाशा मुख्य नहर विस्तार एवं कुल्हड़िया वितरणी के पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य (एकरारनामा सं०-01SBD/2017-18) की जाँच से संबंधित उड़नदस्ता अंचल-02, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-24 दिनांक-05.10.2023 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में पायी गयी अनियमितता के लिए गठित आरोप पत्र पर आपसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतएव आरोप पत्र साक्ष्य सहित संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आरोप पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों के संदर्भ में स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के एक पक्ष के अंदर विभाग को समर्पित किया जाय। विलंब की स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एक पक्षीय निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र/बाध्य होंगे।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

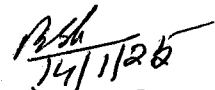
ह०/-

(बिनय कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 135

पटना, दिनांक- 14.01.2025

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/सभी उप सचिव (प्रबंधन)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन)/कार्यपालक अभियंता (आई०टी०), आई०टी० सेन्टर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-09, 10, 11, 15 एवं 23, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव